



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178947

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 52405 सन् 2025

रोहित सोनी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : धीरज कुमार, दीपांशु कुशवाहा, हिमांशु गुप्ता, नमन नवीन सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आज आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन आवेदक द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी, जनपद ललितपुर द्वारा वाद संख्या 44 वर्ष 2023 (आकाश बनाम रोहित सोनी) में, जो मुकदमा अपराध संख्या 17 वर्ष 2022, धारा 409 भा.दं.सं., थाना मझवरा, जनपद ललितपुर से उत्पन्न हुआ है, दिनांक 24.07.2025 को पारित समन आदेश को निरस्त किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
4. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक रोहित सोनी, टी.जी.-2 को उपभोक्ताओं से विद्युत राजस्व एकत्र करने का दायित्व सौंपा गया था। यह आरोप है कि दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22.12.2021 से 19.01.2022 की अवधि के दौरान उसने उपभोक्ताओं से रु.13,83,439/- की धनराशि एकत्र की, किंतु उसे निर्धारित समय के भीतर विभाग में जमा नहीं किया। शिकायत के आधार पर एफ.आई.आर. पंजीकृत की गई और विवेचना की गई। विवेचना के दौरान, सूचनाकर्ता तथा अन्य विभागीय साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया और प्रासंगिक दस्तावेज भी एकत्र किए गए। तथापि, विवेचक ने इस आधार पर दिनांक 06.11.2022 को अंतिम आख्या प्रस्तुत की कि संपूर्ण बकाया धनराशि बाद में आवेदक द्वारा जमा कर दी गई थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम आख्या को स्वीकार नहीं किया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् धारा 409 भा.दं.सं. के अपराध हेतु आवेदक को समन किया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर. के पंजीकरण के पश्चात् कथित रु.13,83,439/- की संपूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा विभिन्न तिथियों को जमा कर दी गई थी। जमा की रसीदें तथा जमा की गई धनराशि का विवरण अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विवेचक ने विवेचना पूर्ण करने तथा संपूर्ण धनराशि के जमा किए जाने पर विचार करने के पश्चात् आवेदक के विरुद्ध कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया और दिनांक 06.11.2022 को अंतिम आख्या प्रस्तुत की।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच में भी आवेदक को कदाचार का दोषी पाया गया और बिना संचयी प्रभाव के एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने की लघु शास्ति प्रदान की गई। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग या गबन करने की कोई मंशा नहीं थी। अतः आवेदक के विरुद्ध धारा 409 भा.दं.सं. के अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं होते हैं।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप, सूचनाकर्ता एवं अन्य साक्षियों के कथन तथा विवेचना के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्य प्रथमदृष्टया धारा 409 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध किए जाने का प्रकटीकरण करते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. के पंजीकरण के पश्चात् धनराशि का जमा किया जाना, उसे दायित्व से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुक्त नहीं करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दे तथ्य के विवादित प्रश्न हैं, जिनकी धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत कार्यवाही में जांच नहीं की जा सकती। अतः इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, इस न्यायालय ने पाया कि एफ.आई.आर. इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि आवेदक को उपभोक्ताओं से विद्युत राजस्व एकत्र करने का दायित्व सौंपे जाने के बावजूद, उसने धनराशि एकत्र की, किंतु उसे निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहा। विद्वान मजिस्ट्रेट ने साक्षियों के कथनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आख्या को अस्वीकार करते हुए और धारा 409 भा.दं.सं. के अंतर्गत आवेदक को समन करते हुए विस्तृत एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कथित संपूर्ण धनराशि एफ.आई.आर. के पंजीकरण के पश्चात् जमा की गई थी और उक्त धनराशि 39 किस्तों में जमा की गई थी। बाद में धनराशि जमा किए जाने से आपराधिक न्यासभंग का आरोप समाप्त नहीं हो जाता, विशेषकर तब, जब विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथमदृष्टया यह दर्शाती है कि उपभोक्ताओं से एकत्र की गई धनराशि समय पर जमा नहीं की गई थी।

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक के विरुद्ध धारा 409 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथमदृष्टया मामला बनता है। बाद में धनराशि जमा किया जाना इस स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने का आधार नहीं माना जा सकता।

10. उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामलों में निर्धारित किए गए हैं:

(i) आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866;

(ii) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम हरियाणा राज्य, (1977) 4 एस.सी.सी. 451;

(iii) पश्चिम बंगाल राज्य बनाम स्वपन कुमार गुहा, (1982) 1 एस.सी.सी. 561;

(iv) धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्न कुमार, 1990 सप्लीमेंट एस.सी.सी. 686;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 335;

(vi) बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 222;

(vii) बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 4 एस.सी.सी. 675;

(viii) सनापरेड्डी महीधर शेषगिरि एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2007) 13 एस.सी.सी. 165;

(ix) तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जिलानी एवं अन्य, (2017) 2 एस.सी.सी. 779; तथा

(x) मेसर्स नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 2021 एस.सी. 1918।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों तथा स्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि इस स्तर पर कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण, तुच्छ या परेशान करने वाली है। आरोप तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रथमदृष्टया कथित अपराध किए जाने का प्रकटीकरण करती है। आवेदक द्वारा उठाए गए तथ्य के विवादित प्रश्नों पर साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

12. उपर्युक्त के दृष्टिगत, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पारित समन आदेश में कोई अवैधानिकता या त्रुटि नहीं पाई जाती है। संपूर्ण कार्यवाही तथा आक्षेपित समन आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना एतद्वारा अस्वीकार की जाती है।

13. तदनुसार, आवेदन निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

24 अगस्त, 2026

अकबर